उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-4
संख्या-4164/14-4-2014-500(51)/2014
लखनऊ, दिनांक, 09 दिसम्बर, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-55(5)/पी.एफ./2011, दिनांक 06-0106-01-2014 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं हेतु मात्राकृत धनराशि को फलेक्सी फंड के रूप में निरूपित कर उपयोग किये जाने वाली योजनाओं की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) का गठन निम्नवत किया जाता है :-

क्रमॉक	पदनाम	विवरण
1	प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासना।	अध्यक्ष
2	प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0।	सदस्य
3	वन विभाग, उ0प्र0 शासन का प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव से निम्न स्तर का न हो।	सदस्य
4	वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन का प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
5	राज्य योजना आयोग उ0प0 का नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
6	प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य
7	अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।	सदस्य सचिव
8	मुख्य वन संरक्षक, ईको-विकास, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य (वन्य जीव संरक्षण से संबंधित योजनाओं का प्रस्तुतीकरण)

सुनील पाण्डेय
सचिव।

संख्या-4164(1)/14-4-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- सचिव, राज्य योजना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-पी-550/36-बी-8(2014-15) दिनांक 27.10.2014 के क्रम में।
5- प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-236/7-4(लेखा) दिनांक 29.08.2014 के क्रम में।
6- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य वन संरक्षक, इको विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
8- गार्ड फइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in